भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

14/05/2016-डीजीएडी

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

******

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2016

<u>जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना</u>

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर, उत्पाद चाकू और प्रसाधन मदों को छोड़कर, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

संख्या 14/05/2016-डीजीएडी: ऑल इंडिया पोटरी मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन एसोसिएशन (एआईएमपीए) और इंडियन सेरामिक सोसाइटी (जिसे आगे याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की

शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. **और यत: प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्द्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।**

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. **यह याचिका भारत में पीयूसी के घरेलू उत्पादकों की ओर से ऑल इंडिया पोटरी मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएमपीए) और इंडियन सेरामिक सोसाइटी (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता/ याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। कुछ भारतीय उत्पादकों अर्थात (क) क्ले प्रा. लि., (ख) सेरामिक टेबलवेयर प्रा. लि., (ग) भारत पोटरीज लि. और (घ) (घ) मै. यूपी सेरामिक्स एंड पोटरीज प्रा. लि. (जिन्हें याचिकाकर्ता/ याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) ने आवश्यक लागत और वित्तीय सूचना प्रदान की है। अनेक उत्पादकों का यश्वी एंटरप्राइजेज, अनिल सेरामिक, सम्राट सेरामिक्स, रघुवीर (इंडिया) लिमिटेड, मारवेल सेरामिक्स प्रा.**

प्रा. लि., शी सेल सेरामिक्स (इंडिया) प्रा.लि., मुद्रिका सेरामिक्स (आई) लि., शान टेबलवेयर प्रा. लि., फेदर टच सेरामिक्स प्रा. लि., ओसिस सेरामिक्स प्रा. प्रा. लि. और टाटा सेरामिक्स लि. ने याचिका का समर्थन किया है। इन उतपादकों ने उनके समर्थन पत्रों में भार के अनुसार उनकी उत्पादन और बिक्री मात्राओं का ब्योरा उपलब्ध कराया है।

4. सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर) के अनुसार कुल भारतीय उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण दर्शाया गया है कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में उत्पादन के अनेक उत्पादक हैं।

5. इसके अलावा, याचिकाकर्ता कंपनियों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में विचाराधीन उतपाद के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।

6. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन में 'प्रमुख हिस्सा' बनता है। अत: प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

<u>विचाराधीन उत्पाद</u>

7. वर्तमान जॉच में विचाराधीन उत्पाद चाकू और प्रसाधन मदों को छोड़कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) है।

8. **याचिकाकर्ताओं ने आगे स्पष्ट किया है कि बोन चाइना, स्टोनवेयर और पोर्सलेन-वेयर सभी सेरामिक उत्पाद हैं और इसलिए विचाराधीन उत्पाद में बोन चाइना, स्टोन और पोर्सलेन के किचेन वेयर और टेबलवेयर शामिल हैं। सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर उत्पाद का प्रयोग खाना खाने, पानी पीने और खाना और पेयों को परोसने में किया जाता है और घरों और होटलों में सजावट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पीयूसी विभिन्न आकृति और आकार में उपलब्ध है और यह जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विश्लेषण के लिए वजन मामले में माप की इकाई लेने का फैसला किया गया है।**

9. **विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 69 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। संबद्ध वस्तु के आयात एचएस कोडों 6911 और 6912 के अधीन विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत हो रहे । किसी भी प्रकार से सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जॉच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।**

<u>समान वस्तु</u>

10. **याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद सामान्य और भौतिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशन, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है (और कर रहे हैं)।**

11. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अत: प्राधिकारी वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

<u>शामिल देश</u>

12. वर्तमान जॉच चीन (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उतपाद के कथित पाटन से संबंधित है।

<u>सामान्य मूल्य</u>

13. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के संबंध में नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अधीन कार्य कर रहे हैं।

14. उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण. में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

15. याचिकाकर्ताओं ने भारत में संबद्ध आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरर्देशीय भाड़े, बैंक प्रभार और वैट के लिए समायोजनों में कीमत संबंधी समायोजनों का दावा किया गया है।

<u>पाटन मार्जिन</u>

16. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

<u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

17. यत: प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी एतद्द्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी

शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

<u>जांच अवधि (पीओआई)</u>

18. याचिकाकर्ताओं ने `1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 (12 महीनों) की जॉच अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि क्षति के विश्लेषण के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात अप्रैल 12 - मार्च 13, अप्रैल 13 - मार्च 14, अप्रैल 14 - मार्च 15 और जॉच की प्रस्तावित अवधि के आकड़ों पर विचार किया गया है।

<u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

19. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>समय-सीमा</u>

21. वर्तमान जॉच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

<u>अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

23. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में" गोपनीयता "का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या "अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।
24. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पॉच (5)प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

25.गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

26.अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

27.प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28.सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

29. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

<u>असहयोग</u>

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(ए. के. भल्ला)
अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी